कमिश्नर, वाणिज्य कर का समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को प्रेषित, परिपत्र सं0- स0द0 1011087 दिनांक : 27 जनवरी, 2011

विषय - सचलदल/वि0अनु0शा0 इकाईयों की कार्य प्रणाली में सुधार के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या-स0द0-1004/वाणिज्य कर दिनांक 22-09-10 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके प्रस्तर-1 में प्रवर्तन डयूटी के बिन्दु 3 में निर्देश दिये गये हैं:-

'' **सचल दल इकाई में कार्यरत सभी अधिकारी /कर्मचारी सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) की मुहर एवं हस्ताक्षरों से निर्गत परिचय पत्र डयूटी के दौरान अवश्य रखेंगे और क्रेता - विक्रेता/ट्रान्सपोर्टर / वाहन प्रभारी (चालक) के अनुरोध पर इसे अवश्य दिखायेंगे।**

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा अपने जोन में कार्यरत सचलदल इकाईयों /वि0अनु0शा0 इकाईयों के अधिकारियों /कर्मचारियों को परिचय पत्र निर्गत कर उपलब्ध करा दिये गये होंगे फिर भी मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आए हैं कि उक्त निर्देशों का अनुपालन प्रवर्तन इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि सचलदल इकाईयों /वि0अनु0शा0 इकाईयों में कार्यरत सभी अधिकारी / कर्मचारी /वाहन चालक एवं पुलिस कर्मियों द्वारा जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) की मुहर एवं हस्ताक्षरों से निर्गत परिचय पत्र ड्यूटी के दौरान अवश्य साथ रखेंगे और क्रेता- विक्रेता/ ट्रान्सपोर्टर / वाहन प्रभारी (चालक) के अनुरोध पर इसे अवश्य दिखायेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों से अपने जोन के अन्तर्गत सचलदल/ वि0अनु0शा0 इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों/ पुलिस कर्मियों को अवगत कराते हुये इसका अनुपालन दिनांक 02-02-11 तक सुनिश्चित करायें। यदि उक्त तिथि के बाद यह पाया जाता है कि सचलदल इकाईयों/ वि0अनु0शा0 इकाईयों में कार्यरत सभी अधिकारी/ कर्मचारी /वाहन चालक एवं पुलिस कर्मियों द्वारा जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) की मुहर एवं हस्ताक्षरों से निर्गत परिचय पत्र ड्यूटी के दौरान अपने साथ नहीं रखा गया है और क्रेता- विक्रेता/ ट्रान्सपोर्टर / वाहन प्रभारी (चालक) के अनुरोध पर नहीं दिखाया गया है तो ऐसे दोषी पाये गये अधिकारी/ कर्मचारी / पुलिस कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से किया / कराया जाना सुनिश्चित करें।